नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–(ख)IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनच्छेदों में दिये गये है।

अंकेक्षण अवधि 4/14 से 3/16 तक नगर पंचायत नादौन के प्रधान तथा सचिव निम्नानुसार थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती रीना देवी	1.4.14 से 31.3.16

सचिवः–

क्र0सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री प्रेम चन्द बत्तरा	1.4.14 से 21.3.16
2	श्री जगपाल सिंह ठाकुर	22.3.16 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमिततों का सार निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	9.1	190
2	अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	9.2	293.92
3	गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.16 को वसूली हेतु लम्बित	10	21.47
4	गृहकर का निर्धारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि	10.1	4.17

5	दुकानों के किराये के रूप में दिनाँक 31.3.2016 को वसूली हेतु लम्बित	11	18.82
6	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	12	0.56
7	स्वीकृति बजट से अधिक व्यय	15	28.58
8	सावधिक निवेश पर बेंक द्वारा कम ब्याज देना	17	0.99
9	गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री किशोरी लाल, बेलदार व श्री ब्रहमवीर बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	18	0.41
10	श्री रमेश चन्द, लिपिक का कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमों के विरूद्ध स्थापन (Placement)	20	—
11	मोबाईल खर्चे के रूप में श्रीमती रीना देवी प्रधान को अनाधिकृत भुगतान	21	0.11
12	टी0डी0एस0 की कटौती न करना	24	0.88
13	आयकर, बिक्री कर व श्रमकर के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	25	1.35
14	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	27	0.13
15	हॉफ राउँड आर0सी0सी0 पाईपों का अनावश्यक क्रय	28	0.66
16	प्रचलित बाजार दरो से अधिक दरो पर क्रय करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान	30	0.09

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 1"** पर दर्शाई गई है। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों पर कोई भी विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि सभी अनिर्णीत पैरो पर समयबद्ध सीमा के भीतर अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि गत कई वर्षों से असमायोजित/अनिर्णीत/लम्बित पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत नादौन के लेखों अवधि 04/2014 से 03/2016 का वर्तमान अंकेक्षण, श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 30.11.16 से 24.12.16 व दिनांक 16.1.17 से 18.1.17 तक नादौन में किया गया जिस के

परिणामों को आगामी पैरागाफों में समाविष्ट किया गया है। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः— 3/15 व 3/16

व्ययः— 10/14 व 10/15

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत व अधूरी सूचना एवं सूचना प्रदान न करने की अवस्था में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/16 के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹36600 आंका गया। सचिव नगर पंचायत नादौन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 16.01.2017 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। परिणामस्वरूप अंकेक्षण शुल्क की राशि को एच0डी0एफ0सी0 नादौन के बैंक ड्राफ्ट संख्या 000270 दिनांक 17.01.2017 को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

4 वित्तीय स्थितिः—

नगर पंचायत नादौन के लेखाओं अवधि 4/14 से 3/16 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–3** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष 2014–15

	आरम्भिक शेष	**वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति**	**कुल राशि**	**व्यय**	**शेष राशि**
स्वः स्त्रोत	1588034	6321937	7909971	2815742	5094229
अनुदान	270589	21050316	21320905	21320905	शून्य
कुल योग	**1858623**	**27372253**	**29230876**	**24136647**	**5094229**

वर्ष 2015–16

	आरम्भिक शेष	**वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति**	**कुल राशि**	**व्यय**	**शेष राशि**
स्वः स्त्रोत	5094229	7258036	12352265	8674375	3677890
अनुदान	शून्य	27071352	27071352	8071352	19000000
कुल योग	**5094229**	**34329388**	**39423617**	**16745727**	**22677890**

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.3.16 को बैंक में जमा शेष राशिः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स नादौन	01682010034020	50365.38
2	के0सी0सी0बी0 नादौन	20018023134	76948.25
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नादौन	65110276153	296254.00
4	एच0डी0एफ0सी0 नादौन	50100067903202	1977378.00
5	सी0बी0आई0 नादौन	2158278778	57267.00
6	एस0बी0आई0 नादौन	11306445841	5615.53
7	एस0बी0आई0 नादौन	11306446196	99432.00
8	एस0बी0आई0 नादौन	11306446185	99700.25
9	एस0बी0आई0 नादौन	11306446209	76465.47
10	एस0बी0आई0 नादौन	11306445830	20190151.12
		योग	**22929577.00**

जमाः–(+)	दिनांक 31.3.16 को हस्तगत शेष राशि	94646
जमा (+)	चैक बैंक में जमा करवाए गए लेकिन दिनांक 31.3.2016 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया	

क्र0सं0	चैक संख्या	दिनाँक	राशि	
1	8427	31.3.2016	440	
2	8428	31.3.2016	717	
3	5792	31.3.2016	453	
4	7446	31.3.2016	1559	(+) 3169

जमा (+)	दिनांक 29.3.16 को गलत ब्याज के रूप में रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई राशि	(+) 2814
जमा (+)	अनुदान के रूप में प्राप्त ₹300000 चैक संख्या 28.3.16 को बैंक में जमा करवाया गया लेकिन दिनांक 31.3.16 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया	(+) 300000
घटाव (–)	दिनांक 31.3.16 को एच0डी0एफ0सी0 बैंक नादौन के बचत खाता 50100067903202 द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना	(–) 26553

घटाव (–)	दिनांक 31.3.2016 को एस0बी0आई0 नादौन बचत खाता संख्या 11306445871 द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना	(–) 103
घटाव (–)	चैक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.16 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए	

क्र0सं0	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशि**	
1	000154	22.3.16	2102	
2	000155	22.3.16	8670	
3	000157	29.3.16	1254	
4	000158	29.3.16	80139	
5	000159	29.3.16	2041	
6	000161	29.3.16	531454	(–)625660

दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष ₹22677890

5 पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4** द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	1799729.98	916100	2715829.98	373485	2342344.98
2015–16	2342344.98	1039684	3382028.98	418992	2963036.98

दिनांक 31.3.16 को अन्तिम शेष का विवरणः–

(i)	एस0बी0आई0 नादौन के बचत खाता संख्या 11306446107 में जमा शेष राशि	291783.98
(ii)	सावधिक निवेश खाता संख्या 33670637270 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	1922191
(iii)	सावधिक निवेश खाता संख्या 34206438236 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	749062
	कुल योग	**2963036.98**

5.1 सावधिक निवेशः–

पैन्शन एवं उपदान निधि से अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
1	33670637270	19.10.15	1922191	19.10.17	2230168	7.5%	2 वर्ष	एस0बी0आई0 नादौन
2	39706438236	16.2.16	749062	16.2.17	804863	7.25%	1 वर्ष	एस0बी0आई0 नादौन

6 न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थितिः–

नगर पंचायत नादौन द्वारा **परिशिष्ट–5** द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	2430222	622054	3052276	145780	2906496
2015–16	2906496	960774	3867270	12288	3854982

दिनांक 31.3.2016 को अन्तिम शेष का विवरणः–

(i)	एस0बी0आई0 नादौन के बचत खाता संख्या 30876314042 में जमा शेष राशि	887274
(ii)	सावधिक निवेश खाता संख्या 3205152397 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	1400000
(iii)	सावधिक निवेश खाता संख्या 34706249136 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	863101
(iv)	सावधिक निवेश खाता संख्या 33703029880 एस0बी0आई0 नादौन में निवेशित राशि	704607
	योग	**3854982**

6.1 सावधिक निवेशः–

न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि से अवधि 1.4.2014 से 31.3.16 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
1	2051573917	24.11.11	1400000	24.11.16	2211577	9.25%	5 वर्ष	एस0बी0आई0 नादौन
2	34706249136	16.2.16	963101	16.2.17	927398	7.25%	1 वर्ष	एस0बी0आई0 नादौन
3	33703029880	5.3.16	704607	5.3.18	817500	7.50%	2 वर्ष	एस0बी0आई0 नादौन

7 नगर पंचायत नादौन के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरणः–

नगर पंचायत नादौन के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
1	2011–12	11342101.21	14410829.00
2	2012–13	13784535.00	11826443
3	2013–14	11241126.00	16775224.00

8 अनुदानों का शीर्षवार व्यय से सम्बन्धित विवरण तैयार न करनाः–

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या यू0डी0–एच (2–1/2008–iv–339, दिनांक 4.4.2013 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को नगर पंचायत द्वारा शीर्षवार व्यय किया जाना अपेक्षित था जिसका शीर्षवार नमूना (परफोरमा) निम्नलिखित हैः–

Sr. No.	Name of Sector	Name of work	Estimated cost	work done (unit)	Expenditure
1	Sanitation				
2	Parking				
3	Solid waste				
4	Drainage				
5	Street Light				
6	E-Governance				
7	Sewerage				
8	Mgt of Assets				
9	Development/Prot				
10	Salary & wages (Not more than 20% of total release)				
	Total				

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014–15 व 2015–16 में वित्त आयोग द्वारा जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार व्यय करने से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था। सम्पूर्ण अनुदान राशि का इकटठा रख रखाव नगर परिषद निधि खाते में किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अनुदान राशि को जिस उद्देश्य हेतु जारी किया गया था उसी उद्देश्य हेतु खर्च किया गया है या नहीं। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार उपर्युक्त विवरणों को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अवधि 2013–14 व 2014–15 के दौरान वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के शीर्षवार खर्च से सम्बन्धित विवरण को अविलम्ब तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि खर्च की गई अनुदान राशि उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया गया है जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया था तथा भविष्य में नियमानुसार अनुदान राशि का रख रखाव उपरोक्त परफोरमा अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	व्यय हेतु शेष राशि
2014–15	270589	21050316	21320905	21320905	शून्य
2015–16	शून्य	27071352	27071352	8071352	19000000

9.1 अनुदान की राशि ₹19000000 व्यय हेतु शेषः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट–6** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक गत वर्षों में अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों में से ₹19000000 व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व राशियों को समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहां एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ वही दूसरी तरफ नगर पंचायत के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए। अतः अनुपयुक्त राशि को समयबद्ध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यपर्ण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

9.2 अनुदान ₹293.92 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना **परिशिष्ट–6** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान अनुदानों में से क्रमशः ₹21320905 व ₹8071352 कुल ₹29392257 का व्यय किया गया लेकिन अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों व अनुदान की राशि जिन–2 उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय की गई थी, से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा

अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में अनुदानों से व्यय की गई राशि की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनांक, बिल/वाउचर इत्यादि से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किए जाएं।

10 गृहकरः—

गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.16 को ₹21.47 लाख की वसूली हेतु लम्बितः—

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—7** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 को गृहकर ₹2147099 की राशि विभिन्न करदाताओं/गृह स्वामियों से वसूली हेतु लम्बित थी। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि/टैक्स म्यूनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत्त रहती है तो सम्बन्धित नगर परिषद/नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारन्ट जारी करेगा तथा वारन्ट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

10.1 गृहकर का निर्धारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹4.17 लाख की वित्तीय हानिः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0डी0—एच (सी) 10—7/98 दिनांक 17.11.2003 के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक शहरी निकाय को गृहकर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष	गृहकर की प्रतिशतता
2002–03	7.5%
2003–04	8.5%
2004–05	10%
2005–06	11.5%
2006–07	12.5%

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नगर परिषद द्वारा गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में 10**%** दर से की गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान लगभग ₹417136 की आय की हानि हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	10% की दर से गृहकर की गणना (₹)	12½% की दर से गृहकर की गणना	अन्तर (₹)
2014–15	835096	1043870	208774
2015–16	833446	1041808	208362
		कुल योग	**417136**

अतः राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर दर का निर्धारण 12½**%** करना सुनिश्चित किया जाए।

11 दुकान किराये के रूप में दिनांक 31.3.2016 को ₹18.82 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–8** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को दुकानदारों से किराये के रूप में ₹1881558 वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर परिषद/नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव कर देय राशि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था व्यक्ति को वंरट जारी करेगा तथा वरंट जारी होने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

12 मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क ₹0.56 लाख की वसूली न करनाः–

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या डी0ई0बी0– (आई0टी0) 2005/विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियाँ अपने टावर लगाती है तो उनसे ₹10000 टावर इन्स्टालेशन शुल्क तथा ₹5000 प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की बढ़ौतरी करनी अनिवार्य है। जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न कम्पनियों ने नगर पंचायत क्षेत्र में अपने मोबाईल टावर स्थापित किए है तथा उनसे नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। **परिशिष्ट–9** द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना अनुसार मोबाईल कम्पनियों से वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	**कम्पनी का नाम**	**दिनांक 31.3.16 तक वसूली योग्य शेष राशि**
1	वोडाफोन	6250
2	रिलायन्स	30000
3	रिलायन्स जियो (2 टावर)	20000
	कुल योग	**₹56250**

13 शराब कर की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोतल की दर से नियमानुसार शराब कर की वसूली नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़ों सहित एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विद्युत कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 28.8.2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में कुल बिजली खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग की वसूली विद्युत विभाग से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस अवधि की राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकडे एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 स्वीकृत बजट से ₹28.58 लाख का अधिक व्ययः–

नगर परिषद नादौन द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 तक निम्नविवरणानुसार स्वीकृत बजट की राशि से ₹2858147 का अधिक व्यय किया गया।

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2014–15	21278500	24136647	2858147

स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई राशि का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करना एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित रूप से किए गए व्यय को हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। अनुपालना से आगमी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 सदन की अनुमति एवं प्रस्ताव के बगैर गृहकर का पुनः निर्धारण करने बारेः–

(i) गृहकर रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि गृहकर रजिस्टरों में वित्तीय वर्ष 2014–15 में आरम्भिक शेष ₹2217265 के स्थान पर ₹2063492 व वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹1940407 के स्थान पर ₹1933501 लिया गया है। फलस्वरूप दो वर्षों में आरम्भिक शेष ₹160679 (153773+6906) कम दर्शाया गया है जिसका कारण कुछ गृहकरदाताओं के गृहकर का पुनः निर्धारण है जोकि अवधि 1.4.2004 से 31.3.14 तक किया गया दर्शाया है। यद्यपि अंकेक्षण को प्रदत्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में गृहकर का आरम्भिक शेष क्रमशः ₹2217265 व ₹1940407 दर्शाया गया है लेकिन गृहकर के विभिन्न रजिस्टरों में कुछ गृहकर दाताओं के गृहकर का पुनः निर्धारण करके आरम्भिक शेषों में कमी उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में क्रमशः ₹2063492 व ₹1933501 आरम्भिक शेषों का योग दर्ज है। अतः गृहकर के पुनः निर्धारण उपरान्त गृहकर के वसूली हेतु आरम्भिक शेषों में कमी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त गृहकरदाताओं के गृहकर का पुनः निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव सदन द्वारा पारित नहीं किया गया है व न ही गृहकर के पुनः निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्रस्ताव रजिस्टर में मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में गृहकर के पुनः निर्धारित किए गए मामले की अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः सदन की स्वीकृति के बगैर गृहकरदाताओं के गृहकर के वर्ष 2004 से पुनः निर्धारण करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के

दौरान गृहकर के पुनः निर्धारित मामलों को आगामी अंकेक्षण मे सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) गृहकर के पुनः निर्धारण करके ₹160679 को गृहकर छूट में समायोजित गलत तरीके से किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹153773 व वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹6906 गृहकर छूट के रूप में अधिक दर्शाना अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा ₹0.99 लाख कम ब्याज देनाः–

नगर पंचायत नादौन द्वारा पैन्शन एवं उपदान निधि व न्यू पैन्शन एवं उपदान निधि से अंकेक्षण अवधि के दौरान एस0बी0आई0 नादौन में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार राशियां निवेशित की गई। लेकिन बैंक द्वारा उक्त निवेशित राशियों पर परिपक्वता राशि से कम राशि प्रदान की गई। फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹99367 की ब्याज स्वरूप हानि हुई है।

(i) पैन्शन एवं उपदान निधिः–

क्र0 सं0	एफ0डी0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	प्रदान की गई राशि	अन्तर
1	33670637270	19.10.13	1665346	19.10.15	1989807	1922191	67616
2	34706438236	16.02.15	700000	16.02.16	761424	749062	12362
(ii) न्यू पैन्शन एवं उपदान निधिः–							
3	34706249136	16.2.15	200000	16.2.16	870198	863101	7097
4	33703029880	5.3.14	600000	5.3.16	716899	704607	12292
				कुल योग	**4338328**	**4238961**	**99367**

उपरोक्त उल्लेखित ब्याज स्वरूप हुई हानि ₹99367/– के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367 दिनांक 15.12.2016 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत नादौन के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि ₹99367 की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री किशोरी लाल बेलदार व श्री ब्रहमवीर बेलदार को ₹0.41 लाख का अधिक एवं गलत भुगतानः–

सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि गलत वेतन निर्धारण करने के कारण श्री किशोरी लाल बेलदार व श्री ब्रहमवीर, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹40986 का निम्नविवरणानुसार अधिक एवं गलत भुगतान किया गया हैः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का देय नाम व पदनाम	देय पे +ग्रेड पे	दिया गया पे+ग्रेड पे	अन्तर	डी0ए0	अवधि	माह	अधिक एवं गलत भुगतान
1	श्री किशोरी लाल, बेलदार	5720+1650 =7370	5920+1900=7820	450	107%482	1.7.14 से 31.12.14	6	6x932=5592
				450	113%509	1.1.15 से 30.6.15	6	6x959=5754
		5950+1650 =7600	6160+1900=8060	460	119%547	1.7.15 से 31.12.15	6	6x1007=6042
				460	125%575	1.1.16 से 31.3.16	3	3x1035=3105
							योग	**20493**
2	श्री ब्रहम वीर, बेलदार	5720+1650 =7370	5920+1900=7820	450	482	1.7.14 से 31.12.14	6	6x932¾5592
				450	509	1.1.15 से 30.6.15	6	6x959=5754
		5960+1650 =7600	6160+1900=8060	460	547	1.7.15 से 31.12.15	6	6x1007=6042
				460	575	1.1.16 से 31.3.16	3	3x1035=3105
							योग	**20493**
		क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (20493+20493)						**₹40986**

उपरोक्त उल्लेखित गलत वेतन निर्धारण के कारण उक्त कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365 दिनांक 14.12.2016 के अन्तर्गत सचिव, नगर पंचायत नादौन के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹40986 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने उपरान्त नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 गलत वेतन निर्धारण के कारण नगर पंचायत कर्मचारियों को ₹2605 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाय गया कि नगर पंचायत में कार्यरत्त बेलदारों व सफाई कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण अवधि 1.6.14 से 31.3.16 तक ₹2605 **परिशिष्ट–10** अनुसार अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। उक्त गलत वेतन निर्धारण के कारण नगर पंचायत में कार्यरत्त बेलदारों व सफाई कर्मचारियों को किए गए ₹2605 के अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 366 दिनांक 15.12.2016 के अन्तर्गत सचिव, नगर पंचायत नादौन के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त नगर पंचायत में कार्यरत्त बेलदारों व सफाई कर्मचारियों को किए गए गलत एवं अधिक भुगतान ₹2605 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 श्री रमेश चन्द, लिपिक का कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थापन (Placement):–

नगर पंचायत नादौन में कनिष्ठ सहायक का एक पद सृजित है। नगर पंचायत में कनिष्ठ सहायक के पद पर पत्र संख्या N.P.Nadaun/2015-Estt-590-595 दिनांक 30.7.2015 के अन्तर्गत दो लिपिकों श्री कुलदीप कुमार व श्री रमेश चन्द को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन्न (Placement) किया गया। नगर पंचायत के एक कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पद पर दो लिपिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन्न (Placement) करना नियमों के विपरीत है। फलस्वरूप एक लिपिक को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन्न (Placement) करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन्न (Placement) करके एक लिपिक को दिए गए अनुचित लाभ के प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363 दिनांक 14.12.2016 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत नादौन के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः एक कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पद पर दो लिपिकों को स्थापन्न (Placement) करने को नियमों के अन्तर्गत उचित ठहराया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 मोबाईल व्यय के रूप में श्रीमती रीना देवी, प्रधान को ₹0.11 लाख का अनाधिकृत भुगतानः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि टैलीफोन रजिस्टर के अनुसार श्रीमती रीना देवी, प्रधान नगर पंचायत को अवधि 4/14 से 1/16 के दौरान विभिन्न मासों में टैलीफोन/मोबाईल व्यय के रूप में ₹10641 का भुगतान किया गया जबकि नगर पंचायत प्रधान को टैलीफोन/मोबाईल व्यय के भुगतान करने का म्युनिसिपल नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः नगर पंचायत प्रधान को टैलीफोन/मोबाईल व्यय के रूप में भुगतान की गई ₹10641 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अथवा अनाधिकृत भुगतान हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में श्री रमेश चन्द, लिपिक को ₹2565 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 350 (7) दिनांक 10.10.14 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में श्री रमेश चन्द लिपिक को चिकित्सा परीक्षण जाँच व दवाईयों के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित दरो से अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण ₹2565 का निम्नानुसार अधिक एवं गलत भुगतान किया गया हैः–

क्र0सं0	परीक्षण जाँच/दवाईयों का नाम	देय योग्य राशि	दिया गया भुगतान	अधिक एवं गलत भुगतान
1	Ultra sound charges	200	390	190
2	Triage Charges	–	300	300
3	Consultation Fees	–	200	200
4	complete blood count	100	300	200
5	CA-125	500	1830	1330
6	Rational Thyriod Panel Serum	300	560	260
7	Livogen Z Tablet 30 No"s @2.83	–	85	85
	कुल योग	**1100**	**3665**	**2565**

अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में किए गए ₹2565 के अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 नगर पंचायत नादौन में 4 सफाई कर्मचारी नियमित व 2 सफाई कर्मचारी वेतन भोगी तैनात होने के बावजूद सफाई का कार्य ठेके पर देनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नादौन के 7 वार्डों में सफाई का ठेका वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु श्री रवि कुमार संविदाकार को ₹1398000 व वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु श्री श्याम लाल संविदाकार को ₹1560000 में आबंटित किया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान सफाई ठेकेदारों द्वारा सफाई के कार्य हेतु क्रमशः 18 व्यक्ति व 18 व्यक्ति तैनात किए गए। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना नितान्त अनिवार्य है कि नगर पंचायत नादौन में 6 सफाई कर्मचारी (4 सफाई कर्मचारी नियमित व 2 सफाई कर्मचारी वेतन भोगी) कार्यरत्त है। जिनके वेतन एवं भत्तों पर वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान प्रतिमाह लाखों रूपये का वयय वेतन एवं भत्तों के रूप में किया जा रहा है। नगर पंचायत नादौन में सफाई कर्मचारियों के 8 पद स्वीकृत है व नगर पंचायत में 6 सफाई कर्मचारी (4 सफाई कर्मचारी नियमित व 2 सफाई कर्मचारी वेतन भोगी) तैनात होने के बावजूद सफाई के कार्य हेतु 18 व्यक्तियों को ठेके पर लेना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः स्पष्ट किया जाए कि जब 7 वाडों में सफाई ठेके पर तैनात 18 व्यक्तियों द्वारा किया गया तो 6 सफाई कर्मचारियों (4 सफाई कर्मचारी नियमित व 2 सफाई कर्मचारी वेतन भोगी) ने वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान क्या कार्य किया। अतः परामर्श दिया जाता है कि सफाई के कार्य हेतु ठेके पर तैनात व्यक्तियों की संख्या में नगर पंचायत में कार्यरत्त सफाई कर्मचारियों की संख्या के बराबर कमी करके कम दरों पर सफाई का ठेका दिए जाने हेतु विचार किया जाए ताकि अनावश्यक अपव्यय को रोका जा सके व नगर पंचायत नादौन में कार्यरत्त 6 सफाई कर्मचारियों (4 सफाई कर्मचारी नियमित व 2 सफाई कर्मचारी वेतन भोगी) की सेवाओं का सदुपयोग सम्भव हो सके।

24 टी0डी0एस0 ₹0.88 लाख की कटौती न करनाः–

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष में संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान व ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2**%** की दर से टी0डी0एस0 काटा जाना अनिवार्य था व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो या फिर मौखिक हो पर लागू होती है। जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट लेबर, सेवा कार्य व सामान

इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों की अनुपालना न करते हुए नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से निम्नलिखित फर्मों/ठेकेदारों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है जिसके कारण सरकारी कोष में ₹87611 टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए है। अतः उक्त सम्पूर्ण टी0डी0एस0 की राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194 (सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	वा0सं0/दि0	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	भुगतान की गई राशि	2% टी0डी0एस0 की राशि
1	88/44/22.5.14	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस हमीरपर	बिजली का सामान	92137	1843
2	149/159/27.6.14	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	68775	1376
3	499/115/26.12.14	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	128866	2577
4	530/116/7.01.15	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	63711	1274
5	22/146/6.4.15	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	54007	1080
6	192/120/14.7.15	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	57800	1156
7	252/178/14.8.15	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	112980	2260
8	353/189/3.10.15	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	729421	14588
9	403/195/2.11.15	मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस, हमीरपुर	बिजली का सामान	114840	2297

10	1.4.14 से 31.3.15	श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री चरन दास (सफाई ठकेदार)	सफाई ठेका	1398000	27960
11	1.4.15 से 31.3.16	श्री श्याम लाल (सफाई ठेकेदार)	सफाई ठेका	1560000	31200
				कुल योग	**87611**

25 आयकर, बिक्री कर व श्रमकर के रूप में वसूली गई ₹1.35 लाख को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

नगर पंचायत नादौन द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना **परिशिष्ट–11** पर संलग्न के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों के निर्माण/मुरम्मत बिलों से आयकर, बिक्री कर व श्रमकर के रूप में क्रमशः ₹49855, 66516 व 18200 कुल ₹134571 की वसूली की गई लेकिन उक्त वसूली गई राशि की सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप उक्त आयकर, बिक्रीकर व श्रमकर के रूप में वसूली गई ₹134571 की सरकारी कोष में जमा करवाने की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26 निर्धारित दर से कम दर पर टैण्डर बिक्री करने के कारण ₹600 की हानिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PBW (B)-14(8)2004 दिनांक 24.2.2012 के अन्तर्गत ₹10 लाख तक के कार्यों हेतु टैण्डर की लागत/बिक्री मूल्य ₹350 निर्धारित किया गया था। नगर पंचायत नादौन द्वारा उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत टैण्डर की बिक्री हेतु निर्धारित राशि से कम राशि पर टैण्डर बिक्री करने के कारण नगर पंचायत को **परिशिष्ट–12** अनुसार ₹600 की वित्तीय हानि हुई है। अतः निर्धारित दर से कम दर पर टैण्डर बिक्री करने के कारण हुई हानि ₹600 का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 ₹0.13 लाख अग्रिम राशि का समायोजन न करने बारेः–

वाउचर संख्या शून्य, दिनांक 22.10.14 को ₹90588 का भुगतान, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमला को 400 बैग सीमेन्ट की खरीद/आपूर्ति करने हेतु किया गया। तथा बैंक ड्राफ्ट संख्या 685106 दिनांक 22.10.2014 द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम अग्रिम भुगतान किया गया। उक्त भुगतान की एवज में ए0सी0सी0 सीमेन्ट की आपूर्ति दिनांक 13.11.2014 को प्राप्त हुई। आपूर्ति पत्रों के साथ संलग्न ए0सी0बी0 कम्पनी बरमाणा के बिल कुल ₹77798 के वाउचर फाईल में सलंग्न है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	बिल संख्या/दिनांक	विवरण	राशि
1	1901502750/13.11.14	200 बोरी सीमेन्ट	30593
2	0002725793/13.11.14	सीमेन्ट ढुलवाई (टरक नम्बर एच0पी0–22–7244	8306
3	1901502793/13.11.14	200 बोरी सीमेन्ट	30593
4	0005724328/13.11.14	सीमेन्ट ढुलवाई (ट्रक नम्बर एच0पी0 23 सी 330)	8306
		कुल योग	**₹77798**

नगर पंचायत द्वारा उक्त वर्णित बिलों के विरूद्ध निगम के पास ₹90588 ₹12790 (90588–77798) अधिक जमा करवाये गए है। अतः उकत अधिक जमा करवाई गई राशि को शीघ्र सम्बन्धित निगम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 ₹0.66 लाख की हॉफ राऊंड आर0सी0सी0 पाईपों का अनावश्यक क्रयः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 360 दिनांक 7.10.2015 को मैसर्ज जी0डी0 हयूम पाईप गाँव व डाकखाना चेतरू जिला कांगड़ा (हिमालच प्रदेश) को आर0सी0सी0 हॉफ राउंड पाईपों के क्रय करने पर निम्नानुसार ₹114115 का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	आर0सी0सी0 हॉफ राऊंड पाईप	75 नम्बर 150 RMT	277	41550
2	आर0सी0सी0 हॉफ राऊंड पाईप	150 नम्बर 300 RMT	217	65100
			योग	106650
			वैट 5%	5332.50

लोडिंग/अनलोडिंग 2%	2133
कुल योग	**114115.50**
भुगतान की गई राशि	**114115**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय/वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या (1) व (2) पर उल्लेखित 75 नम्बर व 150 नम्बर आर0सी0सी0 हॉफ राऊंड क्रय की गई पाईपों की रेत, पत्थर व बजरी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 37 व 35 पर स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज की गई है। लेकिन माह 12/16 तक उक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित क्रय की गई 75 नम्बर पाईपों में से केवल 65 नम्बर पाईपें ही प्रयोग/जारी की गई व क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित क्रय की गई 150 नम्बर पाईपों में केवल 11 पाईपें ही प्रयोग/जारी की गई। फलस्वरूप एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त क्रम संख्या–1 पर 10 व क्रम संख्या 2 पर 139 पाईपों को प्रयोग में न लाने के कारण क्रमशः ₹5540 (10/75x41550) व ₹60326 (139/150x65100) कुल ₹65866 का अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय किया गया है। अतः आवश्यकता न होने के बावजूद भी अत्याधिक मात्रा में आर0.सी0सी0 हॉफ राऊंड पाईपों को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सके।

(ii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत ₹100000 से अधिक की खरद पर टैण्डर आमन्त्रित किए जाने का प्रावधान है जबकि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त ₹114115 के आर0सी0सी0 हॉफ रांउड पाईपों की खरीद के लिए टैण्डर के स्थान पर निविदाओं को आमन्त्रित किया गया था जोकि अनियमित है। अतः उक्त पाईपों की आपूर्ति नियमानुसार टैण्डर पर न करके निविदाओं के आधार पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय की गई आर0सी0सी0 हॉफ राउंड पाईपों की प्राप्ति से सम्बन्धित/बिल भुगतान वाउचर पर सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि आर0सी0सी0 हॉफ राउंड पाईपों की आपूर्ति फर्म द्वारा सप्लाई आदेशों में दर्शाई गई Specification एवं Design के अनुसार ठीक पाई गई।

29 ₹7.29 लाख के बिजली के सामान के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 353 दिनांक 3.10.2015 को मैसर्ज शर्मा लाईट हाऊस मेन बाजार, हमीरपुर से 50 एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 60 वॉट (क्रॉम्प्टन)को क्रय करके निम्नानुसार ₹729421/– का व्यय किया गया है।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 60 वॉट (क्रॉम्पटन)	50	12825	641250
			वैट 13.75%	**88171**
			योग	**₹729421**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्त्यिाँ है। जिनका निराकरण किया जाए।

(i) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत ₹100000 से अधिक की खरीद पर टैण्डर आमन्त्रित किए जाने का प्रावधान है। जबकि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त ₹729421 के एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 60 वॉट की खरीद के लिए टैण्डर के स्थान पर निविदाओं को आमन्त्रित किया गया था जोकि अनियमित है। अतः उक्त एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 60 वॉट की आपूर्ति नियमानुसार टैण्डर पर न करके निविदाओं के आधार पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 60 वॉट का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा प्राप्त फर्म से न करके स्थानीय बाजार से किया गया है जबकि उक्त स्ट्रीट लाईटों का क्रय सरकार द्वारा "दर संविदा" प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त स्ट्रीट लाईटों का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरान्त किसी भी अधिक एवं गलत भुगतान की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 प्रचलित बाजार दरों से अधिक दरों पर क्रय करने के कारण ₹0.09 लाख का अधिक एवं गलत भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 341 दिनांक 4.10.14 को श्री नरेन्द्र सोनी ठेकेदार से 4000 द्वितीय श्रेणी ईटों के क्रय करने पर निम्नविवरणानुसार ₹29736 का भुगतान किया गया है।

वा0सं0 व दि0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
341/4.10.14	ईटे	4000	7850	31400
			आयकर 2.3**%**	722
				30678
			बिक्रीकर 3%	**942**
			योग	**29736**

जबकि उक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में द्वितीय श्रेणी ईटों का बाजार भाव ₹5000 प्रति हजार से ऊपर नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत नादौन के पांच किलोमीटर की दूरी पर दो–तीन ईटों के भटठे है। ईंट भटठा मालिकों से ईटों का क्रय न करके ठेकेदार से ईटों का क्रय अत्याधिक उच्च दरों पर प्रचलित बाजारीय भाव को नजर अन्दाज करते हुए करना गम्भीर वित्तीय अवहेलना है। अगर प्रचलित बाजारीय भाव में ₹500 प्रति हजार की दर से लाने का किराया भी सम्मिलित कर लिया जाए तब भी प्रति हजार दर ₹5500 बनती है। अतः प्रचलित बाजार भाव से अधिक दरों पर क्रय करने के कारण उक्त ईटों के क्रय में सम्बन्धित ठेकेदार को ₹9400 (7850–5500=2350X4) का अधिक भुगतान किया गया है। जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

31 55 बैग सीमेन्ट का सम्भावित दुरूपयोगः–

सीमेन्ट रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों/मासों को सीमेन्ट की बोरियों की खपत की गई दर्शाई है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	जारी करने की तिथि/माह	कर्मचारी का नाम जिसे सीमेन्ट जारी किया गया	सीमेन्ट की बोरियों की संख्या
1	1.4.14	श्री राजेश त्रिवेदी	10 बैग
2	4/14	श्री राजेश त्रिवेदी	10 बैग
3	5/14	श्री राजेश त्रिवेदी	5 बैग
4	5/14	रविन्द्र कुमार	30 बैग
		कुल योग	**55 बैग**

उपरोक्त खपत दर्शाए गए 55 बैग सीमेन्ट किस कार्य हेतु जारी किए गए से सम्बन्धित विवरण स्टॉक रजिस्टर में मौजूद नहीं है। कार्य का नाम उल्लेखित न होने के कारण सीमेन्ट के दुरूपयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त उल्लेखित खपत दर्शाए गए सीमेन्ट किस कार्य हेतु जारी किया गया से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सीमेन्ट के किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सीमेन्ट के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

32 ₹1401 का दुरूपयोगः—

रेत, पत्थर व बजरी के स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 15 दिनांक 15.5.2015 को बजरी 20 एम0एम0 की कार्य C/O Drain in Various ward of N.P. Nadaun हेतु कुल मात्रा 6.95 घन मीटर में से 5.05 घन मीटर की खपत दर्शाकर अन्तिम शेष 0.95 घन मीटर दर्शाया गया है जबकि वास्तव में 1.90 घन मीटर मात्रा शेष रहती है। फलस्वरूप 0.95 घन मीटर कम मात्रा दर्शाकर उसका दुरूपयोग किया गया है। अतः उपरोक्त उल्लेखित 0.95 घन मीटर बजरी 20 एम0एम0 ₹1475 प्रति घन मीटर की दर से ₹1401 (1475x0.95) की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 ₹70 का दुरूपयोगः—

आय की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत नादौन में अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान बस अडडा पार्किंग व तहबाजारी की रसीदों के रूप में वसूली गई राशि से कम राशि रोकड़ बही में दर्ज करके ₹70 का निम्नविवरणानुसार दुरूपयोग किया गया है।

क्र0सं0	मद का नाम	दिनांक	बुक संख्या	रसीद क्रम सं0	रसीदों की सं0	दर्शाई गई रसीदों की सं0	अन्तर	दर	कम दर्ज की गई राशि
1	बस अडडा पार्किंग	1.3.16	2273	26 से 200	175	174	1	30	30
		25.3.16	109	142 से 163	22	21	1	30	30
2	तहबाजारी	11.3.15	18	94 से 104	11	10	1	10	10
								योग	**70**

अतः उक्त दुरूपयोग की गई ₹70 की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 संविदाकार श्री नितिन कुमार को ₹200 का अधिक एवं गलत भुगतानः–

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री नितिन कुमार संविदाकार को "Painting & Distempring in N.P. Building." कार्य हेतु माप पुस्तिका संख्या–34 पेज संख्या 34 पर गणना में त्रुटि के कारण भुगतान योग्य ₹29161 की जगह ₹29361 का भुगतान करने के कारण ₹200 (29361–29161) का अधाकि एवं गलत भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक एवं गलत भुगतान हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 अवकाश खातों में अधिक शेष दर्शाने बारेः–

नगर पंचायत नादौन में कार्यरत्त कर्मचारियों के अवकाश खातों की जाँच करने पर पाया गया कि अवकाश खातों में वास्तविक शेष अवकाश से अधिक शेष अवकाश दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवकाश की किस्म	दिनांक 31.3.16 को वास्तविक शेष अवकाश	दिनांक 31.3.16 को दर्शाया गया शेष अवकाश	अधिक दर्शाया गया अवकाश
1	श्री सोमराज (सफाई कर्मचारी)	अर्ध वेतन अवकाश	168 दिन	179 दिन	11 दिन
2	श्री सतीश कुमार (बेलदार)	अर्जित अवकाश	68 दिन	63 दिन	5 दिन
3	श्री सतीश कुमार (बेलदार)	अर्ध वेतन अवकाश	126 दिन	146 दिन	20 दिन
4	श्री हंस राज (बेलदार)	अर्जित अवकाश	250 दिन	251 दिन	1 दिन
5	श्री हंस राज (बेलदार)	अर्ध वेतन अवकाश	187 दिन	167 दिन	20 दिन
6	श्री नरेन्द्र कुमार (सफाई कर्मचारी)	अर्धवेतन अवकाश	167 दिन	177 दिन	10 दिन

अतः उक्त कर्मचारियों के अवकाश खातों में संशोधन करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 व्यक्तिगत नस्तियों में व्यतीत अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख न होनाः–

नगर पंचायत नादौन में कार्यरत्त कर्मचारियों के अवकाश खातों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश व्यतीत किया गया है।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अर्जित अवकाश व्यतीत करने की अवधि	दिनों की सं0
1	श्री रमन कुमार (सफाई पर्यविक्षक)	10.8.15 से 23.8.15	14 दिन
2	श्री जीवन कुमार (बेलदार)	21.8.14 से 31.8.14	11 दिन
		24.9.14 से 29.2.14	6 दिन
		9.12.14 से 14.12.14	6 दिन
		19.12.14 से 31.12.14	13 दिन
3	श्रीमती शिन्दो देवी (सफाई कर्मचारी)	9.7.15 से 16.7.15	7 दिन

उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों के अर्जित अवकाश व्यतीत करने से सम्बन्धित आवेदन पत्र, प्रस्थान सूचना, कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट व सक्षम अधिकारी द्वारा अर्जित अवकाश के स्वीकृति आदेश अभिलेख में मौजूद नहीं है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए। अतः वाँछित अभिलेख सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 अंशदायी भविष्य निधि खातों में आरम्भिक व अन्तिम शेष न दर्शानाः–

नगर पंचायत नादौन कार्यरत्त कर्मचारियों के अंशदान भविष्य निधि के व्यक्तिगत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों के वेतन से अंशदान भविष्य निधि के रूप में की गई कटौती को एक ही खाते में जमा करवाया गया है व कर्मचारियों का अंशदान भविष्य निधि का रजिस्टर लगाकर उसमें प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता खोला गया है। लेकिन कर्मचारी के अंशदान भविष्य निधि खाते का आरम्भिक शेष, वर्ष के दौरान जमा करवाई गई राशि व अन्तिम शेष नहीं निकाला गया है। केवल प्रतिमाह वेतन से अंशदान भविष्य निधि के रूप में की गई कटौती को दर्ज किया गया है। अतः नगर पंचायत में कार्यरत्त कर्मचारियों के अंशदान भविष्य निधि व्यक्तिगत खातों में आरम्भिक शेष, वर्ष के दौरान जमा करवाई गई राशि व अन्तिम शेष न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

38 **लघु आपति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

39 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या :— (V)(32)फिन(एल0ए0डी0) खण्ड—2—2263—2264 दिनांकः 20.04.2017, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओ पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृतः— 2. सचिव, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता / —
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.
0117—2620881

"परिशिष्ट 1" **(पैरा 1 (ग) से सन्दर्भित)**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/63 से पूर्व

संस्था द्वारा 9/63 से पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ख) अंकेक्षण एवं निरक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/63 से 5/68

1	पैरा–5	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
2	पैरा–6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा–7 (1) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–8	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा–10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा–12 (1) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा–13 (1 से 17)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9	पैरा–14	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा–15	निर्णीत	(–यथोपरि–)
11	पैरा–16	निर्णीत	(–यथोपरि–)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/88

1	पैरा–8	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/05

1	पैरा–13	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
2	पैरा–24	निर्णीत	(–यथापेरि–)
3	पैरा–26	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–31	निर्णीत	(सीमेन्ट की मात्रा पैरे में अधिक दर्शाई गई है जबकि 33 बैग सीमेन्ट अन्य कार्य के प्रयोग हेतु जारी किया गया था स्टील की मात्रा व ईटों की खपत की भी जाँच उतरानुसार कर ली गई है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–5 (ग) (1)	निर्णीत	(₹4627 की वसूली जी–8 संख्या 38/2008 दिनांक 31.1.2017 द्वारा कर ली गई है) (अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 व 31.1.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–5 (ग) (2)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर) (अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
3	पैरा–5 (ग) (3)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा–5 (घ) (1)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–5 (घ) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

6	पैरा–5 (ञ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
7	पैरा–5 (ङ) (3)	निर्णीत	(–यथापेरि–)

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–6 (घ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
2	पैरा–7 (छ)	निर्णीत	(–यथापेरि–)
3	पैरा–7 (ञ)	निर्णीत	(–यथापेरि–)
4	पैरा–9 (घ)	निर्णीत	(–यथापेरि–)
5	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(–यथापेरि–)

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–13 (1)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
2	पैरा–7	निर्णीत	(–यथापेरि–)
3	पैरा–12 से 20	निर्णीत	(–यथापेरि–)

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–5 (ii)	निर्णीत	(अनुपयुक्त अनुदानों की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9.1 में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–6	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
3	पैरा–7 (क)	निर्णीत	(गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	(गृहकर का रख रखाव ठीक ढ़ंग से किया जा रहा है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.2017 द्वारा निर्णीत)
5	पैरा–8 (क)	निर्णीत	दुकान/स्टालों के किराये की वसूली हेतु शेष राशि की नवीनीतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (ग)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा–10	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)

11	पैरा–11	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा–12	निर्णीत	(–यथोपरि–)
13	पैरा–13	निर्णीत	(–यथोपरि–)
14	पैरा–14	निर्णीत	(–यथोपरि–)
15	पैरा–115 (1)	निर्णीत	(दिए गए परामर्श की अनुपालना की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
16	पैरा–15 (2)	निर्णीत	(टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर लगाने की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
17	पैरा–15 (3)	निर्णीत	(कार्य की प्रगति माप पुस्तिका में दर्ज होने की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
18	पैरा–15 (4)	निर्णीत	(विभागीय कार्यों के अनुमानित व्यय व वास्तविक व्यय का ब्यौरा माप पुस्तिका में दर्ज होने की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
19	पैरा–15 (5)	निर्णीत	(कार्य आरम्भ करने की तिथि व समाप्त करने की तिथि माप पुस्तिका में दर्शाई गई है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1. 17 द्वारा निर्णीत)

20	पैरा–15 (6)	निर्णीत	(विभागीय न्यायोचितता की पुष्टि कर ली गई है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा–15 (7)	निर्णीत	(दिए गए निर्देशों की अनुपालना की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
22	पैरा–15 (8)	निर्णीत	(अंकेक्षण के निर्देशों की अनुपालना की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
23	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा–16 (2) (क)	निर्णीत	(HPSR 2009 में मद संख्या 09150100 की प्रति घन मीटर दर ₹1048.70 न होकर ₹2064.30 है। फलस्वरूप अतिरिक्त मद का भुगतान सही दर पर किया गया है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
26	पैरा–17 (1)	निर्णीत	(किए गए अधिक व्यय की स्वीकृति प्रस्ताव संख्या 288 दिनांक 27.12.14 द्वारा प्राप्त कर ली गई है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)

27	पैरा—17 (2)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
28	पैरा—18 (1)	निर्णीत	(कार्य का इन्द्राज माप पुस्तिका में दर्ज है तथा कार्य आरम्भ एवं पूर्ण की तिथि अंकित करवा दी गई है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
29	पैरा—18 (2)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
30	पैरा—18 (3)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
31	पैरा—19	निर्णीत	(मदवार आय—व्यय की खाता बही की पुष्टि उपरान्त) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
32	पैरा—20 (क)	निर्णीत	(राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से प्राप्त सीमेन्ट में विभागीय प्रभार भी लगाया जाता है जबकि ए0सी0सी0 फर्म द्वारा सीमेन्ट के अनुसार बिलिंग की जाती है जिसके कारण उक्त प्रकार का अन्तर पाया जाता है निगम द्वारा पूर्ण भुगतान की प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा रही है। अतः वास्तविक रूप में अन्तर नहीं है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
33	पैरा—21	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)

34	पैरा–22	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
35	पैरा–22 (2)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)
36	पैरा–23 (क) (ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011 फिन (एल0ए0)खण्ड–1–7941 दिनांक 18.12.2015 द्वारा)
37	पैरा–24	निर्णीत	(–यथोपरि–)
38	पैरा–25 (1) (2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
39	पैरा–25 (3)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं दिया गया आवास एक कमरा है) (अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण दिनांक 30.1.17 द्वारा निर्णीत)

अनिर्णीत पैरों का सार

31.3.14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	71
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे	(+) 35
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए पैरे	(–) 66
अन्तशेष	40